न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78 / 2022

सुरताराम (फौत)
1 फूली देवी पत्नी सुरताराम
2 कृष्ण यादव पुत्र सुरताराम
3 सुमेर यादव पुत्र सुरताराम
4 महेन्द्र पुत्र सुरताराम
5 मुन्नीलाल पुत्र सुरताराम
6 सुन्दरलाल पुत्र सुरताराम
7 बिमला देवी पुत्री सुरताराम
8 रोशन कुमार यादव पुत्री सुरताराम
समस्त जाति यादव निवासीगण ढाणी जखराबिया की मालनगर तन कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश उम्र 56 वर्ष पुत्र मोतीराम
2 प्रकाश उम्र 54 वर्ष पुत्र मोतीराम
3 श्रीमती शांति देवी उम्र 97 वर्ष पत्नी मोतीराम (नाम हजफ दिनांक 24.05.24)
4 परताराम उम्र 77 वर्ष पुत्र खुबाराम
5 रामसिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र खुबाराम
6 लालाराम उम्र 62 वर्ष पुत्र खुबाराम
7 श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व. लीलाराम
8 सतपाल उम्र 28 वर्ष पुत्र लीलाराम
9 दिनेश पुत्र स्व. लीलाराम

10 सिलोचना पुत्र स्व. लीलाराम
11 श्रीमती सुरेश देवी पत्नी स्व. छैलाराम
12 संदीप पुत्र स्व. छैलाराम
13 प्रदीप पुत्र स्व. छैलाराम
14 सुमित्रा पुत्री स्व. छैलाराम
15 गजानन्द पुत्र स्व. नन्दाराम
16 बलजीत पुत्र स्व. नन्दाराम
17 अशोक पुत्र स्व. नन्दाराम
18 भगवती पत्नी स्व. नन्दाराम
19 प्रकाश पुत्र रामजीलाल
20 बाला देवी पत्नी रणजीत

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी झखरानीवाली मालनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

21 सुनिता पुत्री रणजीत पत्नी बिरजू यादव निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

22 विरेन्द्र पुत्र रणजीत
23 अशोक पुत्र रणजीत
24 श्रीचन्द पुत्र रामजीलाल
25 बलवान पुत्र रामजीलाल
26 माया देवी पत्नी बलवान यादव

समस्त जाति अहीर निवासी झखरानीवाली ढाणी मालनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

27 भूमिधारी जरिए तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.09.2019
बउनवानी ओमप्रकाश बनाम सुरताराम न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मु.नं. 212/2015

उपस्थिति :

1. श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जवाहर लाल जांगीड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री महेन्द्र कुमार स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 212/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम मालनगर तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 1038/1096, 1039 से 1044, 1049 से 1052, 1060, 1061, 1064, 1070, 1045 से 1048, 1053 से 1053, 1057, 1058, 1059, 1037, 1038 के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। इससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2019 को इकतरफा डिक्री पारित करने के बाद भी इस वाद में पक्षकार संयोजन करने तथा उन्हे जवाब पेश करने का अवसर दे रहे है जो कि प्राथमिक डिक्री से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही है। इस प्रकार माननीय विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री अनियमित कार्यवाही के तहत जारी की है। विचारण न्यायालय द्वार उक्त पत्रावली की आर्डरशीट से स्पष्ट है कि पत्रावली में तनकीयात कायम की जानी थी तथा उसके बाद दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त ही उक्त प्राथमिक डिक्री जारी की जानी चाहिए थी किन्तु पत्रावली तनकीयात कायमी में होने के बावजूद माननीय विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम न कर मनमाने रूप से इकतरफा डिक्री बिना विधिक प्रक्रिया के जारी कर कानूनी अनियमितता की हैं। अपीलांट जो अनपढ व अंगूठा छाप व्यक्ति है को न्यायालय में चल रही कार्यवाही का ज्ञान नहीं है अतः दिनांक 26.09.2019 को जारी प्राथमिक डिक्री की जानकारी अपीलांट को न तो विचारण न्यायालय में अपीलांट के वकील ने दी तथा ना ही अन्य प्रकार से जानकारी हो सकी। जब अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में चल रही कार्यवाही की आर्डरशीट लेकर अपने वकील से राय ली तब अपीलांट को यह जानकारी हुई कि माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री की अपील पेश की जानी आवश्यक है जो जानकारी होने पर अविलम्ब अपील पेश की जा रही है मियाद के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.09.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 01.08.2022 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। दिनांक 26.09.2019 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 26.12.2019 को अपीलांट द्वारा एकतरफा कार्यवाही मनसुख करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है स्पष्ट है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.12.2019 को हो गई थी। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलग्न अपीलांट के आवेदन से होती है। विचारण न्यायालय में अभी तक अपीलांट के यह आवेदन सुनवाई हेतु जैरकार है। यह स्वीकृत तथ्य है कि कोई भी पक्षकार एकतरफा कार्यवाही मनसुख करवाने एवं विचाराधीन निर्णय की अपील करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन कर 3 साल के विलम्ब से प्रस्तुत अपील दायर की है। धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाया है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.09.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 01.08.2022 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। दिनांक 26.09.2019 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 26.12.2019 को अपीलांट द्वारा एकतरफा कार्यवाही मनसुख करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है स्पष्ट है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.12.2019 को हो गई थी। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय

की पत्रावली में सलग्न अपीलांट के आवेदन से होती है। विचारण न्यायालय में अभी तक अपीलांट के यह आवेदन सुनवाई हेतु जैरकार है। यह स्वीकृत तथ्य है कि कोई भी पक्षकार एकतरफा कार्यवाही मनसुख करवाने एवं विचाराधीन निर्णय की अपील करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन कर 3 साल के विलम्ब से प्रस्तुत अपील दायर की है। धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाया है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर